संख्याः-10/2020/पी-118/अड़तीस-9-2020-06(बजट)/2018टी0सी0-1

प्रेषक,

लाल धीरेन्द्र राव,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण,
लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 लखनऊः दिनांक 04 मई, 2020

विषयः-वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अनुरक्षण मद हेतु प्राविधानित बजट के सापेक्ष रू0 5000.00 लाख की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3418/31(8)यूपीआरआरडीए/2015-16/लखनऊ, दिनांक-28.04.2020 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत निर्मित मार्गों के अनुरक्षण हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 5,000.00 लाख के सापेक्ष रू0 5000.00 लाख (रूपये पचास करोड़ मात्र) आपके निवर्तन पर रखने हेतु निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है-

(1) निर्मित सम्पर्क मार्गों का हस्तान्तरण निर्माण के 05 वर्ष के उपरान्त लोक निर्माण विभाग को कर दिया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक-24.03.2020 द्वारा निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि दो समान किश्तों में आहरित की जायेगी तथा प्रथम किश्त का 75 प्रतिशत उपभोग किये जाने के बाद द्वितीय किश्त का आहरण किया जायेगा।

(4) उक्त धनराशि का व्यय प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत गठित उ0प्र0 ग्रामीण सडक विकास अभिकरण की नियमावली एवं इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार कियाजायेगा।

(5) धनराशि के आहरण एवं व्यय में वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा व्यय धनराशि से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण-पत्र सम्बन्धित अधिकारी/कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक-''3054-सड़क तथा सेतु-04-जिला तथा अन्य सडकें-105-रख-रखाव तथा मरम्मत-03-उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण-0301-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत सड़कों का अनुरक्षण-29-अनुरक्षण'' के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक अनुभाग-1), के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020 231/2020, दिनांक-24.03.2020 द्वारा प्रशासनिक विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

लाल धीरेन्द्र राव
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-10/2020/पी-118/अइतीस-9-2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।

2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।

3- आयुक्त ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

4- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 ग्रामीण सडक विकास अभिकरण, लखनऊ।

5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

6- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक)/अनुभाग-1

7- निदेशक, बजट/विशेष कार्याधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग/ग्राम्य विकास अनुभाग-3

8- गार्डबुक।

आज्ञा से,

लाल धीरेन्द्र राव
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।